

13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे।

आरोपी सहित श्री सोनकुसरे अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी/आहत उर्मिलाबाई स्वयं उपस्थित।

प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया।

अवयस्क आहत सुमित की ओर से उसके संरक्षक पिता गुलाब वल्द बलराम द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत 320(4) द.प्र.सं. पेश कर अवयस्क आहत की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति प्रदान की गई।

उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत की पहचान अधिवक्ता श्री सोनकुसरे के द्वारा की गई।

आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-294, 323(दो काउंट), 506 भाग-दो के अंतर्गत अपराध अभियोजित है, जो कि शमनीय अपराध है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण नहीं है। अपराध शमन किए जाने में कोई विधिक बाधा होना प्रकट नहीं होता है। अतएव उभयपक्ष की ओर से राजीनामा स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप आरोपी देवेन्द्र कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा-294, 323(दो काउंट), 506 भाग-दो के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

सदस्य